Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *12 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर देहात इकाई द्वारा आज शुक्रवार को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के **कनिष्ठ अभियन्ता अजय शर्मा** को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की मुख्यालय स्थित जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि निर्माण कार्यों के बिल पास करने की एवज में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता अजय शर्मा द्वारा 30 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तमलाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **अजय शर्मा** पुत्र श्री गौरीशंकर शर्मा निवासी म.नं. 59, दीपनगर, गुर्जर की थडी, सोडाला जयपुर हाल **कनिष्ठ अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,** राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।